

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(11) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 10.9.84

NOTIFICATION
INCOME TAX

No. 5966 (F.No.203/129/84-ITA.II): In continuation of this Office Notification No.3948 (F.No.203/22/81-ITA.II) dated 12-5-81, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (11) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "College" subject to the following conditions:-

- i) That the Karnataka Regional Engineering College, Surathkal, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- ii) That the said college will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- iii) That the said college will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

Institution

Karnataka Regional Engineering College, Surathkal, Srinivas-nagar.

This notification is effective for a period from 27-2-1984 to 31-3-1987.



(Girish Dave)

Under Secretary to the Government of India

Malik/

भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3(1) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

10.9.84
27-7-84

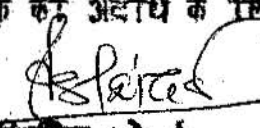
अधिसूचना
आयकर

5966
सं० ~~5966~~ फा० सं० 203/129/84-आ० क० नि० 11 : इस कार्यालय की
दिनांक 12-5-81 की अधिसूचना सं० 3948 फा० सं० 203/22/81-आ० क० नि० 11
के तिलतिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया
जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई
दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ निम्न
परिचित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा 11 के खंड 111
के प्रयोजनों के लिए "कालेज" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित
किया है, अर्थात् :-

1. यह कि कर्नाटक रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सुरथकल, वैज्ञानिक
अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पुर्ण लेखा रहेगा ।
2. यह कि उक्त कालेज अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की
वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति
वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रसंग में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत
किया जाए और उसे सूचित किया जाए ।
3. यह कि उक्त कालेज अपनी कुल आय तथा व्यय दशांति हुए अपने संपरीक्षित
वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दशांति हुए तुलन-पत्र की
एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन
दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा ।

संस्था

कर्नाटक रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सुरथकल, श्रीनिवासनगर
यह अधिसूचना 27-2-1984 से 31-3-1984 तक की अद्विती के लिए
प्रभावी है ।


गिरिग दवे
अवर सचिव, भारत सरकार